न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 21/2019
दायर दिनांक : 03.06.2019
आदेश दिनांक : 29.08.2025

1. किशन लाल पुत्र श्री आनंदी लाल, आयु 58 वर्ष,
2. लाली देवी पत्नी श्री किशन लाल, आयु 56 वर्ष,

समस्त निवासी ग्राम डूमाखेडा, ग्राम पंचायत महासतियो की मादरी तहसील एवं जिला राजसमन्द राजस्थान ।

– प्रार्थी

बनाम

1. भारत संघ जरिए, सचिव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. प्राधिकृत अधिकारी (भु–अवाप्ति) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द (राज0)
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई भीलवाड़ा, 6–ए–1, आर. सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज0)

– विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996

उपस्थित :–

श्री दिग्विजय सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 3
श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत अंतर्गत धारा 3 जी उपधारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के किमी. 00.000 किमी से 30.000 किमी (राजसमन्द भीलवाड़ा) के निर्माण चौड़ा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने बाईपास और चार लेन का बनाने आदि राष्ट्रीय राजमार्ग

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए भु–अवाप्ति हेतु दिनांक 02.04. 2015 को अधिसूचना का भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया व जिसके तहत अप्रार्थीगण के यहां भू–अवाप्ति की कार्यवाही संधारित कर भू–अवाप्ति की कार्यवाही की गई व आपतियां आमंत्रित की गई जिसमें प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 751 वाणिज्कि भूमि मौजा डुमखेड़ा में से 0.1500 भूमि को अवाप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई व प्रार्थीगण के नाम से धारा 3(जी) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण द्वारा 4728045/– रूपये अवार्ड का निर्धारण करते हुए दिनांक 10.02.2016 आदेश पारित किया गया तत्पश्चात् जिसे प्रार्थीगण स्वीकार नहीं करते है तथा तथाकथित अवार्ड राशि के सबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही जो कि मुआवजा निर्धारण के मूलभूत व स्वीकृत सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए अवाप्ति में ग्रसित भूमि के लेण्ड वेल्यू व मुआवजा के निर्धारण बाबत भूमि के संबध में मुआवजा के सही निर्धारण न किये जाने के कारण हस्तगत अवाप्ति की कार्यवाही के पुर्ननिर्धारण एवं हक अधिकारों के निरस्तारण के लिए अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी, एवं उसी दौरान नया भूमि अवाप्ति कानून 2013 लागु हो गया। उस बाबत् भी अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया गया परन्तु उस पर भी किसी प्रकार की ठोस कार्यवाही नहीं की गयी। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने एक याचिका बाबत् संशोधित मुआवजा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश किया गया जिसमें अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हुए एवं उनकी उपस्थिति में याचिका यह कहते हुए निस्तारित की गयी कि प्रार्थीगण को संशोधित मुआवजा राशि नवीन अधिनियम 2013 के अनुसार भुगतान किया जावे तथा इसी क्रम में प्रार्थीगण ने उक्त आदेश की प्रति अप्रार्थीगण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 10.08.2017 को जारी किया गया जो राशि रूपये 5407930/– का होकर प्रार्थीगण के खाते में भुगतान किया गया लेकिन उक्त संशोधित अवार्ड में अनेक त्रुटियां हैं जैसे कि ब्याज राशि, डीएलसी रेट, मार्केट रेट, समीपवर्ती भुमियों का मुआवजा प्रार्थीगण की भूमि से अधिक भुगतान किया गया। इन सब तथ्यों को संशोधित अवार्ड पारित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र इन आधारों पर प्रस्तुत कर रहें है प्रार्थीगण खसरा नम्बर 751 डुमखेड़ा के काबिज स्वामी है तथा उक्त भूमि में से 0.1500 हैक्टेयर को अवाप्त कर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है जिसकी सम्पूर्ण कार्यवाही अधिसूचना व विधिक प्रावधानों के विपरीत की गई है। तथा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध तरीके से की गई है जो अपास्त होने योग्य है। अन्य व्यथित व्यक्तियों द्वारा एक याचिका संख्या 8048/2018 प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा यह आदेशित किया कि मामला आरबिट्रेशन ट्रिब्युनल की प्रकृति का होने से आप अपनी शिकायत/मामला ट्रिब्यूनल के समक्ष अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत प्रस्तुत करें, एवं ट्रिब्युनल के लिये अवाप्त भूमि रूपान्तरित होकर वाणिज्यिक है। अतः मुआवजा वाणिज्यिक भी दर से चुकाना था परन्तु कृषि दर से चुकाया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त संशोधित अवार्ड दिनांक 10.08.2017 को पारित किये गये, जिसमें राजस्थान राजस्व विभाग के परिपत्र के अनुसार गुणांक 01.50 के गुणांक से पुनः

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

निर्धारित किया गया जबकि केन्द्र के परिपत्र के अनुसार आबादी भुमि में 2 का गुणांक के अनुसार अवार्ड राशि निर्धारित होनी चाहिए। इसलिए जो गुणांक संशोधित अवार्ड में लगाया गया है वह विधि विरूद्ध हैं। प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर दिनांक 10.08.2017 पारित मुआवजा अवार्ड राशि पुनः संशोधित करते हुए एवं युक्ती संगत मुआवजे का निस्तारण करते हुए नया अवार्ड पारित मय 18 प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश बाफना ने उपस्थिति दी तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश तिवारी ने उपस्थिति दी तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 व 03 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए व 3 डी के तहत जारी अधिसूचना क्रमशः दिनांक 20.02.2014 व 06.02.2015 का भारत के राजपत्र में प्रकाशन कर ग्राम डुमखेड़ा के खसरा नम्बर 751 में से 0.150 हैक्टेयर कृषि बीड 2 भूमि अवाप्त की गई। उक्त अधिसूचनाओ का प्रार्थीगण/भू–हितधारी को सूचित करने के लिए स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कर आपत्तियां आमन्त्रित की गयी, जिन व्यक्तियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित समयावधी में आपत्ति प्रस्तुत की गयी, उनको सुनवाई बाद नियमानुसार निस्तारण किया गया, लेकिन प्रार्थीगण की ओर से निर्धारित समयावधी में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7) (ए) के अनुसार धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 20.02.2014 को जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर उप पंजीयक से प्राप्त कर भूमि की किस्म आदि के अनुसार उपयोग में लेकर अवाप्त भूमि व उस पर निर्मित संरचना का मुआवजा निर्धारण करने के उपरांत दिनांक 10.02.2016 को अवार्ड जारी कर दिया गया, जिसकी मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थीगण को कर दिया गया है। जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार 1.25 की गुणांक राशि, 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि आदि को ध्यान में रखते हुये अवाप्त भूमि व उस पर निर्मित संरचना का दिनांक 10.08.2017 को संशोधित अवार्ड पारित कर दिया गया, जिसमें वर्णित मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थीगण को कर दिया गया। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जारी उपरोक्त अधिसूचनाओं का अवलोकन किया जाये तो जाहिर होता है कि प्रार्थीगण की वाणिज्यिक भूमि अवाप्त नही की जाकर कृषि बीड 2 भूमि अवाप्त की गई है। अतः प्रार्थीगण का यह कहना है कि उसकी वाणिज्यिक भूमि अवाप्त की गई है, सरासर मिथ्या व बेबुनियाद कथन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा भूमि अवाप्ति की समस्त कार्यवाही विधिवत रूप से की गयी है। विपक्षी द्वारा भूमि अंवाप्ति सम्बन्धित सभी कार्यवाही विधि अनुसार की गयी है। विपक्षी द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भूमि अवाप्ति सम्बन्धित सभी कार्यवाही कर प्रार्थीगण को RFCTLARR ACT 2013 के तहत विधिवत भुगतान किया है विपक्षी द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार कार्यावाही की गयी है। विपक्षी ने निर्धारित डीएलसी दर से मुआवजा तय कर अवार्ड जारी कर RFCTLARR ACT 2013 के तहत भुगतान किया है। विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि के सम्पूर्ण अवार्ड नियमानुसार RFCTLARR ACT 2013 के तहत चैक सं. 000022–23 दिनांक 12.12.17 द्वारा राशि 5407930/– रू. निर्धारित डीएलसी दर से भुगतान किया जा चुका है, एवं प्रार्थीगण को वाणिज्यिक दर से राशि भुगतान हेतु कार्यवाही NHAI भीलवाडा में विचाराधीन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र असामयिक होने से सव्यय निरस्त फरमावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 751 वाणिज्कि भूमि मौजा डुमखेड़ा में से 0.1500 भूमि को अवाप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई व प्रार्थीगण के नाम से धारा 3(जी) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण द्वारा 4728045/– रूपये अवार्ड का निर्धारण करते हुए दिनांक 10.02.2016 आदेश पारित किया गया तत्पश्चात् जिसे प्रार्थीगण स्वीकार नहीं करते है इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने एक याचिका बाबत् संशोधित मुआवजा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश किया गया जिसमें अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हुए एवं उनकी उपस्थिति में याचिका यह कहते हुए निस्तारित की गयी कि प्रार्थीगण को संशोधित मुआवजा राशि नवीन अधिनियम 2013 के अनुसार भुगतान किया जावे तथा इसी क्रम में प्रार्थीगण ने उक्त आदेश की प्रति अप्रार्थीगण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 10.08.2017 को जारी किया गया जो राशि रूपये 5407930/– का होकर प्रार्थीगण के खाते में भुगतान किया गया लेकिन उक्त संशोधित अवार्ड में अनेक त्रुटियां हैं जैसे कि ब्याज राशि, डीएलसी रेट, मार्केट रेट, समीपवर्ती भुमियों का मुआवजा प्रार्थीगण की भूमि से अधिक भुगतान किया गया। इन सब तथ्यों को संशोधित अवार्ड पारित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर दिनांक 10.08.2017 पारित मुआवजा अवार्ड राशि पुनः संशोधित करते हुए एवं युक्तीसंगत मुआवजे का आदेश प्रदान करावे।

विपक्षी संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी ने अवाप्तधीन भूमि की राजस्व अधिकाररियों व कर्मचारियों इत्यादि से रिकॉर्ड अनुसार जांचोपरांत अनुमोदन कर भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए व 3 डी के तहत जारी अधिसूचना क्रमशः दिनांक 20.02.2014 व 06.02.2015 का भारत के राजपत्र में प्रकाशन कर ग्राम डुमखेड़ा के खसरा नम्बर 751 में से 0.1500 हैक्टेयर कृषि बीड 2 भूमि अवाप्त की गई। सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7) (ए) के अनुसार धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 20.02.2014 को जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर उपपंजीयक से प्राप्त कर भूमि की किस्म आदि के अनुसार उपयोग में लेकर अवाप्त भूमि व उस पर निर्मित संरचना का मुआवजा निर्धारण करने के उपरांत दिनांक 10.02.2016 को अवार्ड जारी कर दिया गया, जिसकी मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थीगण को कर दिया गया है। जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार 1.25 की गुणांक राशि, 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि आदि को ध्यान में रखते हुये अवाप्त भूमि व उस पर निर्मित संरचना का दिनांक 10.08.2017 को संशोधित अवार्ड पारित कर दिया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा भूमि अवाप्ति की समस्त कार्यवाही विधिवत रूप से की गयी है। विपक्षी द्वारा भूमि अंवाप्ति सम्बन्धित सभी कार्यवाही विधि अनुसार की गयी है। विपक्षी द्वारा भूमि अवाप्ति सम्बन्धित सभी कार्यवाही कर प्रार्थीगण को RFCTLARR ACT 2013 के तहत विधिवत भुगतान किया है विपक्षी द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की गयी है। विपक्षी ने निर्धारित डीएलसी दर से मुआवजा तय कर अवार्ड जारी कर RFCTLARR ACT 2013 के तहत भुगतान किया है। एवं प्रार्थीगण को वाणिज्यिक दर से राशि भुगतान हेतु कार्यवाही NHAI भीलवाडा में विचाराधीन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र असामयिक होने से सव्यय निरस्त फरमावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। इस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जो मुख्य बिन्दु उठाया गया है वह इस प्रकार है कि प्रार्थी की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होकर वाणिज्यिक भूमि है जबकि प्रार्थी को जो भूगतान किया गया वह कृषि भूमि का किया गया है प्रार्थी की भूमि वाणिज्यिक भूमि होने के संबंध में समस्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये थे परन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दस्तावेजो पर कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया गया तथा भूमि को कृषि भूमि मानते हुए मुआवजे का भूगतान किया गया।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। मूल अवार्ड दिनांक 10.02.2016 को जारी किया गया था। जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप जारी किया गया था माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार तथा भारत सरकार के विधि व न्याय अनुभाग की अधिसूचना दिनांक 31.12.2014 के अनुसार चुंकि यह अवार्ड दिनांक 01.01.2015 के बाद जारी किया गया था। अतः इसे दिनांक 10.08.2017 को संशोधित करते हुए RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पुनः निर्धारित किया जाकर जारी किया गया था। इस तरह से भूमि के मुआवजे का भूगतान भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानो के अनुरूप ही अवार्ड जारी किया गया है। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा जिनकी भूमि अवाप्त की गयी है। उनके द्वारा इस भूमि के संपरिवर्तन आदेश की प्रतियां प्रस्तुत किया जाना भी जाहिर होता है। पत्रावली का अध्ययन करने पर यह जाहिर हुआ कि विहित अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द तथा उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा इस भूमि का संपरिवर्तन आवासीय प्रयोजनार्थ तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जाना पाया गया है। परन्तु जो अवार्ड जारी किया गया है वह राजस्व रिकॉर्ड में जो प्रार्थी की भूमि का अंकन है उसके अनुरूप जारी किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में संपरिवर्तन आदेशो का अमल दरामद नहीं होना पाया गया है। अतः इसमें अवार्ड का निर्धारण भूमि को कृषि भूमि मानते हुए तथा उसकी किस्म बीड़ II मानते हुए अवार्ड का निर्धारण किया गया है। चुंकि प्रार्थी की भूमि की अवाप्ति की

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिसूचना दिनांक 02.04.2015 को प्रकाशित हुई थी तथा अधिसूचना के प्रकाशन के दिन प्रार्थी की भूमि वाणिज्यिक संपरिवर्तन प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करा ली गई थी तथा यह संपरिवर्तन सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा किया गया था। यह सही है कि उसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं किया गया परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी संपरिवर्तन का अंकन किया जाना तथा राजस्व रिकॉर्ड को आदिनांकित किया जाना प्रार्थी का उत्तरदायित्व न होकर राजस्व अधिकारियो का दायित्व होता है। राजस्व अधिकारियों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किये जाने के कारण प्रार्थीगण के जो उसके विधिक अधिकार है उनसे वंचित किया जाना मैं, न्यायहित में उचित नहीं समझता हूँ। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि वह इस प्रकरण में इस बिन्दु पर सम्यक जांच कर ले कि जिस दिनांक को अवाप्ति की अधिसूचना जारी हुई थी उस दिनांक को यदि प्रार्थीगण की भूमि का आवासीय अथवा वाणिज्यिक संप्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तन कर दिया गया हो तो उसके अनुरूप ही संशोधित अवार्ड RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थन कार्यालय की मूल अवार्ड पत्रावली कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)